न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

7/2025

गजानन्द बनाम सरकार किस्म मुकदमा – धारा 225 अपील संख्या 2025/9

अभिभाषक अपीलांट – श्री अशोक कुमार मीणा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2025	यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 26.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। सरिस्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय परगना अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड के प्रकरण संख्या 141/प्रार्थना पत्र/1975 आदेश दिनांक 15.07.1976 के विरूद्ध पेश किया गया है। अपील प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के नकल आदेश की प्रमाणित फोटोप्रति सलंग्न नहीं कर फोटोप्रति सलंग्न की गयी है। पत्रावली गंभीर रूप से (लगभग 50 वर्ष) मियाद बाहर होने के कारण एडमिशन बहस पर सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में नकल (प्रतिलिपि) प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2024 को उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के यहां पेश करने पर उक्त उनवान की पत्रावलियों को दूढने पर उक्त कार्यालय में जमा होना नहीं पाया गया का अंकन है। अतः चाही गई पत्रावलियों की सत्य प्रतिलिपि देना संभव नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त के कम में सम्बन्धित नकल (प्रतिलिपि) प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2024 व नकल (प्रतिलिपि) प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2024 इस अपील प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश किये गये है। हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट गजानंद पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप द्वारा न्यायालय हाजा में जरिये अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.12.2024 को अपील पेश की गई जो लगभग 50 साल बाद मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा दिनांक 29.11.2024 को प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के यहां पेश किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्यायालय में नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। तत्पश्चात् प्रार्थी अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला रेकार्ड रूम जिला झालावाड में दिनांक 19.12.2024 को पेश किया लेकिन वहां मिसल जमा होना नहीं पाया गया है। उसके बाद अपीलांट्स द्वारा अपने घर पर ही फटी पुरानी उक्त निर्णय की फोटोप्रति मिली, उसी फोटोप्रति के आधार पर ही यह अपील पेश की गयी है। अपीलांट के पास पहले से ही एक पुरानी उक्त नकल के निर्णय की प्रति उपलब्ध थी, तो ऐसे में अपीलांट को अपने निर्णय की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय में समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने में हुई लगभग 50 वर्षो की देरी को साबित नहीं किया है, जबकि मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई ठोस कारण अवगत करवाये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र गंभीर रूप से मियाद बाहर (लगभग 50 वर्ष) होने के कारण मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए अपील सारहीन होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। 07/01/25 (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

1. गजानन्द पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप
2. दिलीप पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप
3. मांगीबाई पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप
4. गोपालीबाई पत्नी प्रताप उर्फ रामप्रताप
5. कैलाश बाई पुत्री बिसना ~~उर्फ रामप्रताप~~
6. छोटूलाल पुत्र बिसना
7. राजू लाल पुत्र बिसना
8. कल्ली बाई पुत्री बिसना
9. शान्ति बाई पुत्री बिसना
10. सीता बाई पुत्री बिसना
11. गुलाब बाई पत्नी बिसना
12. ओमप्रकाश पुत्र श्यामलाल
13. हरिओम पुत्र श्यामलाल

जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

..............अपीलाण्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकेलरा जिला झालावाड राजस्थान
2. रामनाथ पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अकलेरा जिला झालावाड राज0

..........रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी बउनवान सरकार बनाम रामप्रताप व अन्य न्यायालय परगना अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान मिसल नम्बर 141/प्रार्थना पत्र/75 आदेश दिनांक 15.07.1976

छोटूलाल मान्यवर,

अपीलाण्टस निम्न निवेदन करते है–

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्टस के पिता बिशना, रामप्रताप पुत्र कंवरलाल जाति चमार निवासी अकलेरा जिला झालावाड के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 906 की

हरिओम गुलाबबाई गजानन्द ओमप्रकाश दिलीप कल्लीबाई शान्तिबाई सीताबाई मांगीबाई राजूलाल कैलाशबाई गोपालीबाई

....2